भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3032

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

पीएम विश्वकर्मा योजना

3032. **श्रीमती पूनमबेन माडम**:

श्री गुहाराम अजगल्ले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है;

(ड.) लाभार्थियों के दिए गए कौशल प्रशिक्षण और वजीफे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित व्यवसायों का ब्यौरा और संख्या क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) :पीएम विश्वकर्मा स्कीम का उद्देश्य 18 व्यवसायों में कार्यरत ,औजारों का उपयोग करके अपने हाथों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना/सहायता प्राप्त करने योग्य बनाना है ,यह सहायता/सहयोग निम्नलिखित मदों के माध्यम से उपलब्ध होगी:

(i) इस स्कीम के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाते हुए उन्हें विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना;

(ii) उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन और उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसरों को उपलब्ध कराना;

(iii) उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता;

(iv) ब्याज में सब्सिडी के जरिए लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त क्रेडिट तथा ऋण की घटी हुई लागत प्रदान करना;

(v) विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण के प्रोत्साहन के लिए डिजिटल लेन-देन हेतु प्रोत्साहन; तथा

(vi) विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में उन्हें सहायता करने के लिए उनके ब्रांड का संवर्धन और बाजार लिंकेजेज के लिए एक प्लेटफॉर्म।

(ख) : इस स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है। वर्ष-वार निधियों का आबंटन नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	आबंटित बजट (करोड़ रुपए में)
2023 -24	1,860
2024 -25	4,824
2025 -26	3,009
2026 -27	1,619
2027 -28	1,224
2028 -29	342
2029 -30	103
2030 -31	19
कुल	13,000

(ग) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएम विश्वकर्मा स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

(i) परिवार आधारित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी भी एक व्यवसाय में कार्यरत कोई कारीगर या शिल्पकार जो स्व-रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में अपने हाथों और औजारों का प्रयोग करके अपना कार्य कर रहा है, इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

(ii) पंजीकरण की तारीख को लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(iii) लाभार्थी को पंजीकरण की तारीख को संबंधित व्यवसाय से जुड़ा रहना आवश्यक है।

(iv) लाभार्थी ने स्व-रोजगार/व्यवसाय के विकास के लिए इसी प्रकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों जैसे केंद्र सरकार की पीएमईजीपी, मुद्रा तथा पीएम स्व-निधि या राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में ऋण प्राप्त नहीं किया हो। तथापि, मुद्रा तथा स्व-निधि के वे लाभार्थी जिन्होंने अपने ऋण का पूर्णतया भुगतान कर दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(v) इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण और लाभ को परिवार के एक सदस्य तक सीमित रखा जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 'परिवार' को परिभाषित करते हुए इसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है।

(vi) सरकारी सेवा में शामिल कोई व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

(घ) : पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के अनुसार दिनांक 18.12.2023 तक पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए 57,815 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं।

(ङ) : कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 177 प्रतिभागियों ने आधारभूत प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 133 प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया है और उन्हें दिनांक 17.12.2023 को प्रमाणीकृत किया गया है। आधारभूत प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त विश्वकर्माओं को वज़ीफा राशि का भुगतान इस समय सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में प्रक्रियाधीन है। प्रशिक्षित और मूल्यांकित/प्रमाणन युक्त प्रतिभागियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(च) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत पात्र 18 व्यवसाय निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**पीएम विश्वकर्मा स्कीम में शामिल किए गए 18 व्यवसायों के नाम**
1	कारपेंटर (सुथार/बढ़ई)
2	नाव निर्माता
3	अस्त्रकार
4	ब्लैकस्मिथ (लोहार)
5	हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
6	ताला बनाने वाला
7	गोल्डस्मिथ (सुनार)
8	पॉटर (कुम्हार)
9	स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला
10	मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर
11	मेसन (राजमिस्त्री)
12	टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/केयर बुनकर
13	गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
14	बार्बर (नाई)
15	गारलैंड मेकर (मालाकार)
16	वाशरमैन (धोबी)
17	टेलर (दर्जी)
18	फिशिंग नेट निर्माता

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3032, जिसका उत्तर दिनांक 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध .

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रशिक्षित और मूल्यांकित/प्रमाणन-प्राप्त प्रतिभागियों की राज्य-वार सूची नीचे दी गई है: :

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**कार्य**	**प्रशिक्षित**	**मूल्यांकित और प्रमाणित**
1	गुजरात	बनासकांठा	सहायक बार्बर – सैलून सेवाएं	12	12
2	ओड़िशा	खोर्धा	ब्रिक मेसन – बेसिक	14	14
3	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	सहायक बार्बर – सैलून सेवाएं	17	17
4	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	दर्जी	18	18
5	उत्तर प्रदेश	अयोध्या	दर्जी	20	0
6	उत्तर प्रदेश	बलिया	दर्जी	29	29
7	उत्तर प्रदेश	बलिया	ब्रिक मेसन – बेसिक	24	0
8	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	दर्जी	43	43
			कुल	177	133